भारत सरकार

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

<u>सार्वजनिक नोटिस</u>

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने "परिसंकटमय पदार्थ (वर्गीकरण, पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2011" का मसौदा अधिसूचित किया है ।

ये मसौदा नियम सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किए जाते हैं । "परिसंकटमय पदार्थ (वर्गीकरण, पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2011" के मसौदे का पूर्ण पाठ मंत्रालय की वेबसाइट www.envfor.nic.in पर देखा जा सकता है ।

परिसंकटमय पदार्थ (वर्गीकरण, पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2011 के मसौदा नियमों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

1. ये नियम रसायनों की सूची में यथाविनिर्दिष्ट परिसंकटलय पदार्थों और परिसंकटमय रसायनों, खतरनाक वस्तुओं पर लागू होंगे ।
2. अधिभोक्ता और परेषक को उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं । उनके द्वारा परिवाहक हेतु परिसंकट श्रेणियां निर्धारित करना, उचित शिपिंग नाम, उपयुक्त पैकेजिंग, आवश्यक लेबल, चिन्हित करना और अद्यतन सुरक्षा डेटा शीट का उपयोग करना अपेक्षित है । इन नियमों में खतरनाक वस्तुओं के हथालन, भंडारण और परिवहन में लगे व्यक्तियों का प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है ।
3. परिसंकटमय पदार्थों के लिए विभिन्न श्रेणियां जैसे विस्फोटक, गैसें, ज्वलनशील द्रव, ऑक्सीकरण करने वाले पदार्थ, विषाक्त और संक्रामक पदार्थ, रेडियोधर्मी पदार्थ, संक्षारक पदार्थ और विविध खतरनाक पदार्थ विनिर्दिष्ट की गई हैं ।
4. परिसंकटमय वर्गीकरण और संघटन के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संख्या और समुचित शिपिंग नाम सौंपा जाना निर्धारित किया गया है । परिसंकटमय पदार्थो के हथालन हेतु पैकेजिंग प्रावधान रखे गए हैं । लेबलिंग प्रावधान जैसे ट्रेड नाम, पदार्थ नाम, रसायन उद्धरण संख्या, सकल भार, विनिर्माता का नाम और पता, आयातक, आपूर्तिकर्ता, आपातकाल सम्पर्क दूरभाष, परिसंकटमय श्रेणी, पैकिंग समूह और प्लेकार्ड इत्यादि का प्रावधान किया गया है ।

मसौदा अधिसूचना में उल्लिखित प्रस्ताव पर कोई भी इच्छुक व्यक्ति कोई आपत्ति का सुझाव इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों की अवधि में सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003 को या इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से ई-मेल पते : secy-moef@nic.in पर भेजा जा सकता है ।

*****